न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/246
दायरा तिथि : 12.07.2024
आदेश तिथि : 14-08-2024

प्रार्थीगण :–

1. उम्मेदसिंह पुत्र रघुनाथसिंह,
2. करणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह,
3. भरतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह,
4. शांताकंवर पत्नि रघुनाथसिंह,
5. चन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह,
6. भावना कंवर पत्नी करणसिंह
7. सरबाकवंर पत्नि शिवसिंह जाति राजपूत निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 14-08-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 675, 804, 808 व 833 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 961/922 रकबा 2.9206 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में येलो फ्लोरोसेंट रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2024/1297 दिनांक 12.08.2024 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

1. यह है कि आवेदक प्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र रूघनाथसिंह वगैरा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 675 गें वर्तमान में आवागमन हेतू राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता स्त्रोत हैं।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता ग्राम कोठार के खसरा नंबर 961/922 से चाहा गया है, जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है एवं कटान मार्ग खसरा नंबर 229 से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित रास्ता हैं।
4. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	961/922	2.9206 हैक्टर	बारानी सोयम	95X9.14= 868.3 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह है कि भू.अ.निरीक्षक, नाना की रिपोर्टनुसार रास्ता हेंतू प्रस्तावित खसरे की डी.एल.सी.दर 1,13,843/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/246
अनवान उम्मेदसिंह वगैरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 675, 804, 808 व 833 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1297 दिनांक 12.08.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 675, 804, 808 व 833 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.7500 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 961/922 रकबा 2.9206 हैक्टर **में से कुल** 855 **वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 113843 /– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
961/922	2.9206 हैक्टर	95X9=855 वर्गमीटर	12	10260 X2=20520	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **20520/– (अक्षरे बीस हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जावेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली व भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(श्री [illegible] विश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2024/1033-37

दिनांक : 14-08-24

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री उम्मेदसिंह पुत्र रघुनाथसिंह वगैरा निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner